



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126427-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 11809 वर्ष 2026

सचिन कुमार

.....याचिकाकर्तागण (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्तागण (गण) की ओर से अधिवक्ता

: अभय प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता

: बिपिन कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 40

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:

“(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी कर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध संख्या 74/2026, धारा 109(1), 351(3), 352, 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता, थाना खतौली, जनपद मुज़फ्फरनगर, दिनांक 16.03.2026 को निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी कर संबंधित प्रतिवादी को निर्देशित किया जाए कि वह विवेचना के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 249/2025, धारा 115(2), 352, 351(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सराय ममरेज, गंगानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), जनपद प्रयागराज, दिनांक 17.12.2025 में याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी पर रोक लगाए।



संक्षेप में कहा जाए तो एफआईआर में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शुभम और तीन अज्ञात व्यक्तियों सहित आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार किया और पीड़ित को बन्दूक से घायल कर दिया।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय प्रताप सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया है और एफआईआर को रद्द किया जा सकता है।

निर्देशों के आधार पर विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि पीड़ित को बंदूक की गोली लगी है। विद्वान एजीए ने आगे प्रस्तुत किया कि एफआईआर के साथ-साथ रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध के कमीशन को स्थापित करती है और उसी की गहन जांच की गारंटी देती है। जांच पैदल चल रही है। इस स्तर पर याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से जांच में बाधा आएगी, सबूतों का नुकसान होगा या गायब हो जाएगा और यह **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 पूरक (1) एससीसी 335 एवं निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) 19 एससीसी 401** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के दायरे में होगा।

भजन लाल (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों जिसे हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हमने उदाहरण के माध्यम से मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशा-निर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनता है।



(2) जहां एफआईआर के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी उपबंध में संस्था के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और कार्यवाही जारी है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां एक आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से भाग ली जाती है और/या जहां अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ दुर्भावनापूर्ण रूप से कार्यवाही शुरू की जाती है और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे नाराज करने की दृष्टि से कार्यवाही शुरू की जाती है।

103. हम इस आशय की सावधानी का एक नोट भी देते हैं कि एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि अदालत एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करने में न्यायसंगत नहीं होगी और यह कि



असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां अदालत को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

निहारिका (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की व्याख्या निम्नानुसार की:

"33.16. उपरोक्त पैरामीटर लागू होंगे और/या उपरोक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, जब धारा 482 सीआरपीसी और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। हालांकि, रद्द करने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानी से पारित किया जा सकता है। इस तरह के अंतरिम आदेश को नियमित, आकस्मिक और/या यंत्रवत् पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर, जब जांच चल रही हो और तथ्य अस्पष्ट हों और संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए और आरोपी को सक्षम अदालत के समक्ष धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए वापस ले जाना चाहिए। उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने वाली याचिका को खारिज करते समय जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दायर नहीं होने तक, गिरफ्तारी और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं" का आदेश पारित करने में उचित नहीं होगा और न ही ऐसा होगा।"

भजन लाल (पूर्वोक्त) और **निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (पूर्वोक्त)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय इस प्रकरण के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्तागण को कोई अंतरिम सुरक्षा देने से रोकते हैं।

एफआईआर को रद्द करने के लिए मांगी गई राहत को भी इन्हीं कारणों से अस्वीकार किया जाता है।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

9 जून 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वंदना

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।